Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to establish a monitoring mechanism for coaching centres.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : महोदय, पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जिस घटना पर मैं बात करने जा रहा हूँ, पूरे देश ने देखी है और पूरे सदन ने टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से यह घटना अपनी आँखों से देखी है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक अति संवेदनशील विषय को आपके समक्ष रखना चाहूँगा, जिस खबर को सुनते ही पूरा गुजरात और सूरत कुछ क्षण के लिए थम गया था ।

महोदय, हाल ही में हमारे गुजरात राज्य में सूरत के अंदर एक महीने पहले जो घटना घटी थी, तक्षशिला इमारत में जो कोचिंग संस्थान चलता था, उसमें आग लगने के कारण वहाँ के 22 छात्रों की जिंदा जल जाने की वजह से मृत्यु हो गई । जो बच्चे घर से पढ़ने के लिए निकले थे, उनको पता नहीं था कि हम वापस जिंदा घर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे । वहाँ घुट-घुट कर उनकी मौत होने से उनके परिवार शोकमग्न हो गए ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वहाँ चल रहे कोचिंग संस्थान में सुरक्षा की कोई आपातकालीन व्यवस्था नहीं थी । वहाँ लकड़ी की सीढ़ी थी, वह भी जलकर खाक हो गई, तो ऊपर जाने का भी कोई रास्ता नहीं था । वहाँ कोई अग्निशामक यंत्र भी नहीं था, जिससे आग को काबू में लाया जाए ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि देश में ऐसे कई संस्थान छोटे या बड़े शहरों में चलते हैं । मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से कहना चाहूँगा कि ऐसे शहरों में कलेक्टर या महानगर के कमिश्नर के माध्यम से उन अनाधिकृत कोचिंग संस्थानों को बंद किया जाए या उनकी जाँच की जाए कि

उनमें सभी प्रकार की व्यवस्था है या नहीं । आने वाले समय में इस प्रकार की ऐसी कोई घटना देश में कभी भी कहीं और नहीं घटनी चाहिए । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा, डॉ. मनोज राजोरिया और श्री देवजी पटेल को श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।